फाइल सं0 6/2/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

**रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग**

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 31 जनवरी, 2011

**वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त ।**

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक़ 24-01-2011 को** 03.00 **बजे अपराह्न** आयोजित सातवीं बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

**(एस.एन. मीणा)**
**भारत सरकार के अवर सचिव**

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के निजी सहायक

**निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करें :-**

1. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक (प्रशा.)
2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
3. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा.)
5. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव (एपीसीआर)
6. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)

**(एस.एन. मीणा)**
**भारत सरकार के अवर सचिव**

# राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सातवीं बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष की अध्यक्षता में **दिनांक़ 24-01-2011 को** 03.00 **बजे अपराह्न** आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध–I** पर है ।

2. प्रारम्भ में, संयुक्त सचिव ने माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और माननीय सदस्यों का स्वागत किया । उसके बाद निम्नानुसार कार्यवाही आरम्भ की गई:-

उसके उपरान्त आयोग ने निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

**कार्यसूची की मद संख्या** 1: **आयोग की दिनांक** 03–01–2011 **को आयोजित पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना ।**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 03-01-2011 को आयोजित पांचवीं बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 10-01-2011 को परिचालित कर दिया गया था । प्रति (**अनुबंध–1.1**) पर संलग्न है ।

**कार्यसूची की मद संख्या** 2: **आयोग की दिनांक** 03–01–2011 **को आयोजित पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।**

आयोग की दिनांक 03-01-2011 को आयोजित पांचवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट किया और आयोग द्वारा उसे अनुमोदित किया गया ।

**कार्यसूची की मद संख्या** 3: **अनुसूचित जाति के उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र जारी करना जिन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है ।**

यह निर्णय लिया गया कि डॉ. देवी सिंह अशोक, भा.पु.से. उप महानिरीक्षक (सेवानिवृत्त) के पत्र सहित प्राप्त प्रमाण-पत्र के फार्मेट की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/ गृह मंत्रालय से प्रामाणिकता अभिनिश्चित करायी जाए । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/गृह मंत्रालय से यह भी मालूम किया जाए कि उपर्युक्त मामलों में प्रमाण-पत्र का फार्मेट सही है या नहीं । (**कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू**)

**कार्यसूची की मद संख्या 4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आदेश के बारे में विचार–विमर्श करना जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कहा गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की शिकायतों/अभ्यावेदनों पर विचार किया जाए ।**

आयोग ने इस मामले पर विचार किया और निर्णय लिया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकार दे देना चाहिए । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस मसले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ उठाएगा । तथापि, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद, 338 (10) के अनुसार तब तक अन्य पिछड़े वर्गों के मुद्दों/शिकायतों का निपटान करेगा जब तक अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों की जांच करने का अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को नहीं दिया जाता । (**कार्रवाई: सी.सैल**)

**अतिरिक्त कार्यसूची की मद संख्या 1: न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय धर्म एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों की दृष्टि से दलित ईसाइयों/दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना ।**

इस मामले पर विस्तार से विचार किया गया और दिनांक 18-09-2007, 18-12-2007 तथा 22-04-2010 को आयोजित अपनी बैठकों में पूर्व आयोग द्वारा अग्रसारित सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श किया गया । आयोग निम्नानुसार सिफारिश करता है:-

> "दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ दिये जाने के मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था । यह निर्णय लिया गया कि उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए परन्तु अनुसूचित जातियों का 15% का हिस्सा प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा सरकार द्वारा इन समुदायों (दलित मुस्लिम और दलित ईसाई) के लिए आरक्षण के घटक को उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए । उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 50% का सम्पूर्ण आरक्षण कायम रखा जाना है ।"

**कार्यसूची की मद संख्या 5: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद ।**

(i) आयोग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय के नवीकरण का यथा उपलब्ध नक्शा अनुमोदित कर दिया तथा चाहा कि संबंधित एजेन्सी को शीघ्र कार्य आरम्भ करने को कहा जाए । (**कार्रवाई: सामान्य प्रशासन**)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

**अनुबंध -I**

**रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 24-01-2011 को अपराह्न** 03.00 **बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित सातवीं बैठक ।**

**उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी**

***क्र.सं.*** ***नाम एवं पदनाम***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव

**अधिकारी**

1. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक
2. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक
3. श्री एस.केसवा अय्यर, उप सचिव
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव
5. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव